रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2736] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2017/आश्विन 4, 1939
No. 2736] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2017/ASVINA 4, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

का.आ. 3128(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 546(अ), तारीख 17 फरवरी, 2015 द्वारा झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के 0.000 कि.मी. से 81.200 कि.मी. (चास-रामगढ़ सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, और सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 और सा.का.नि. 585(अ), तारीख 08 जून, 2016, सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 02 दिसम्बर 2016 और सा.का.नि. 248(अ) तारीख 14 मार्च, 2017 द्वारा संशोधन किए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के चास-रामगढ़ सेक्शन के 4 लेन सड़क खंड के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सड़क खंड की निवल लंबाई 10.000 किमी हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात " आधार दर" संदर्भित किया गया है) के 100% की दर पर और 0.000 किमी से 21.600 किमी तक (डिज़ाइन चैनेज) 4 लेन खंड के 2 बाइपासों की 11.600 किमी लंबाई के उपयोग के लिए आधार दर के 150% की दर पर और सड़क की निवल लंबाई 56.517 किमी और संरचनाओं की समकक्ष लंबाई 0.750 किमी (जिसकी लंबाई 60 मी से अधिक है) {जिनकी लंबाई 0.075 किमी है} के लिए 21.600 किमी से 78.192 किमी तक पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन के उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट दरों

की 90% की दर पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा-23 के बोकारो जिले में तंड बलिदीह गाँव के पास, 16.770 किमी	10.000 (4-लेन सड़क)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
रारा-23 के रामगढ़ जिले में सोसोखुर्द गाँव के पास, 53.740 किमी	56.517 (2-लेन सड़क) (60 मी. से अधिक लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की निवल लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
		लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
रारा-23 के बोकारो जिले में तंड बलिदीह गाँव के पास, 16.770 किमी	रारा-23 का चास बाइपास (0.000 किमी से 6.900 किमी) तक	6.900	56.47	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150 %
	रारा-23 का जैना बाइपास (16.900 किमी से 21.600) तक	4.700	36.91	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं* की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
रारा-23 के रामगढ़ जिले में सोसोखुर्द गाँव के पास, 53.740 किमी	0.075	0.750	ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %
	कुल लंबाई	0.750	

*60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाएं (कि.मी. में)		लंबाई (कि.मी.)
	चैनेज (कि.मी.)		
	से	तक	
1.	61.431	61.506	0.075
योग			**0.075**

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2017-18 के लिए मासिक पास की दर 245.00/- रूपए (दो सौ पैतालीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:—

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारिणी-1 में यथा – उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्डों की पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 341.60 करोड़ रुपए है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/547/ सीओ/ 17-18/ चास रामगढ़]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2017

S.O. 3128(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 546(E) dated 17th February 2015 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.000 to km 81.200 (Chas-Ramgarh Section) of National Highway No. 23 in the State of Jharkhand to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838(E) dated 05.12.2008 and amended vide G.S.R. 950(E) dated 03.12.2010, G.S.R. 15(E) dated 12.01.2011, G.S.R. 756(E) dated 12.10.2011, G.S.R. 778(E) dated 16.12.2013, G.S.R. 26(E) dated 16.01.2014, G.S.R. 831(E) dated 21.11.2014, G.S.R. 220(E) dated 23.03.2015 and G.S.R. 585(E) dated 08th June, 2016, G.S.R. 1114(E) dated 2nd December,2016 and G.S.R, 248(E) dated 14th March, 2017 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at 100% of the base rate specified in column (2) in Table 1 on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below (hereinafter referred to as "base rate") for 10.000 km length of four laned road section and at 150% of the base rates for the two bypasses having a total length of 11.600 for the use of four laned section from km 0.000 to km 21.600 (design chainages) and at 60% of the base rate for the net road length of 56.517 km and for the equivalent length of 0.750 km for the structure (having length more than 60 m) {having length 0.075 Km} for the use of the Two Lane with paved shoulders section from km 21.600 to km 78.192 (design chainages) for the Chas-Ramgarh section of National Highway number 23 in the State of Jharkhand and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Km.16.770 near village Tand Balidih in Bokaro District of NH-23	10.000 (4-laned road)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km.53.740 near village Sosokhurd in Ramgarh District of NH-23.	56.517 (2-lane road) (Excluding length of structures > 60m)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza(s) for net bypass(es) length specified for such Fee Plaza:

Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Length & Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
		Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
km 16.770 near village Tand Balidih in Bokaro District. of NH-23	Chas Bypass (Km.0.000 to Km. 6.900) of NH-23	6.900	56.47	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Jaina bypass (Km.16.900 to Km.21.600) of NH-23.	4.700	36.91	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
km 53.740 near village Sosokhurd in Ramgarh District of NH-23.	0.075	0.750	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Total length	0.750	

*Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Structure having length more than 60 m		
	Chainage (Km.)		Length (Km.)
	From	To	
1	61.431	61.506	0.075
Total			0.075

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 245.00 (Rupees Two Hundred Forty-five only) for the year 2017-18 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

IndiaCode

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 341.60 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/547/CO/17-18/Chas Ramgarh]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.09.26 22:30:06 +05'30'